इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 512]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 24, शक 1937

गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-2(क)-9-2014-बी-3-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं को आंशिक उपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से रेलवे स्टेशन अशोकनगर, तहसील व जिला अशोकनगर को शासकीय रेलवे पुलिस थाना घोषित करती है और आगे यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र सिम्मिलत होंगे नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लेखित पुलिस थाने में से उसके (सारणी के) कालम (3) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करती है:—

सारणी

स. क्र.	पुलिस थाने का नाम (तहसील और जिले के साथ) जिसमें से	स्थानीय क्षेत्र-रेलवे स्टेशन का नाम	अशोकनगर से स्टेशनों के बीच दूरी (कि. मी. में)	
(1)	अपवर्जित किए गए (2)	(3)	(4)	
	पुलिस थाना शासकीय रेल पुलिस, गुना	रेलवे स्टेशन, पीलीघाट	23	
	तहसील गुना, जिला-गुना (शासकीय	रेलवे स्टेशन, षाढोरा गांव	15	
	रेलवे पुलिस, जिला, इन्दौर).	रेलवे स्टेशन, रातिखेड़ा	09	
		रेलवे स्टेशन, अशोकनगर	00	
		रेलवे स्टेशन, हिनोतिया पीपलखोडा	07	
		रेलवे स्टेशन, ओर	13	
		रेलवे स्टेशन, रहटवास	20	
		रेलवे स्टेशन, पिपरई गांव	26	
		1023		

(1)	(2)	(3)	(4)
	पुलिस थाना शासकीय रेल पुलिस, गुना तहसील गुना, जिला–गुना (शासकीय रेलवे पुलिस, जिला, इन्दौर).	रेलवे स्टेशन, गुनेरू बामोरी रेलवे स्टेशन, मुंगावली	36 45

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-2(क)-9-2014-बी-3-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं को आंशिक उपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से जीआरपी चौकी मेघनगर, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ को थाने में उन्नयन कर, शासकीय रेलवे पुलिस थाना घोषित करती है और आगे यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र सिम्मिलत होंगे नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लेखित पुलिस थाने में से उसके (सारणी के) कालम (3) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करती है:—

सारणी

स. क्र.	पुलिस थाने का नाम (तहसील और जिले के साथ) जिसमें से अपवर्जित किए गए	्स्थानीय क्षेत्र-रेलवे स्टेशन का नाम	मेघनगर से स्टेशनों के बीच दूरी (कि. मी. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
	पुलिस थाना शासकीय रेल पुलिस, रतलाम,	रेलवे स्टेशन, अनास	14
	तहसील व जिला-रतलाम, (शासकीय	रेलवे स्टेशन, मेघनगर	00
	रेलवे पुलिस, जिला इन्दौर).	रेलवे स्टेशन, थांदला रोड	08
		रेलवे स्टेशन, बजरंगगढ़	15
		रेलवे स्टेशन, पंचिपपल्या	21
		रेलवे स्टेशन, अमरगढ़	32
		रेलवे स्टेशन, बामनिया	36
		रेलवे स्टेशन, भैरोगढ़	42
		रेलवे स्टेशन, रावटी	54
		रेलवे स्टेशन, बिलडी	61
٠		रेलवे स्टेशन, मोरवानी	70

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-2(क)-9-2014-बी-3-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं को आंशिक उपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से रेल्वे स्टेशन मुरैना, तहसील

मुरैना, जिला मुरैना को शासकीय रेलवे पुलिस थाना घोषित करती है और आगे यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लेखित पुलिस थाने में से उसके (सारणी के) कालम (3) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करती है:—

सारणी

सं. क्र.	पुलिस थाने का नाम (तहसील	स्थानीय क्षेत्र-रेलवे स्टेशन का नाम	रेल्वे स्टेशन मुरैना से ग्वालियर
	और जिले के साथ) जिसमें से		की तरफ एवं धौलपुर की तरफ
	अपवर्जित किए गए		से रेल्वे स्टेशनों के बीच
			की दूरी (कि. मी. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
	पुलिस थाना शासकीय रेल्वे पुलिस, ग्वालियर	रेलवे स्टेशन, सांक	9.7
	बी. जी. तहसील व जिला-ग्वालियर,	रेलवे स्टेशन, नूराबाद	13.2
	(शासकीय, रेल्वे पुलिस जिला, भोपाल).	. रेलवे स्टेशन, बानमोर	19.3
	रेलवे स्टेशन, रायरू	25.4	
		रेलवे स्टेशन, सिकरोंदा	09.00
		रेलवे स्टेशन, हेतमपुर	14.01

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-2(क)-9-2014-बी-3-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2(क)-9-2014-बी-3-दो, दिनांक 15 दिसम्बर 2015 के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

Bhopal, the 15th December 2015

No. F-2-(k)-9-14-B-3-Two.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of Section 2 of the Code of Criminal Procedural Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notifications affecting the local areas specified in the Table below, the State Government, hereby, with effect from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette declares Railway Station Ashok Nagar to be a Government Railway Police Station in Ashok Nagar District, Tehsil Ashok Nagar and further directs that it shall include the local areas specified in column (3) of the said Table and excludes from the police station mentioned in column (2) of the Table below the local areas specified in column (3) thereof:—

TABLE

S. No.	Name of Police Station (with Tehsil and District) from which excluded	Local area-name of railway Station	Distance towards from Ashok Nagar
(1)	(2)	(3)	(4)
	Police Station GRP Guna Tehsil	Railway Station, Pilighat	23
	& District Guna (GRP District	Railway Station, Shadoragaon	15
	Indore).	Railway Station, Ratikheda	09

(1)	(2)	(3)	(4)
	Police Station GRP Guna Tehsil	Railway Station, Ashok nagar	00
	& District Guna (GRP District	Railway Station, Hinotia pipalkhera	07
	Indore).	Railway Station, Orr	13
		Railway Station, Rahatwas	20
		Railway Station, Pipraigaon	26
		Railway Station, Guneru bamori	36
		Railway Station, Mungaoli	45

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

LAXMIKANT DWIVEDI, Dy. Secy.

Bhopal, the 15th December 2015

No. F-2-(k)-9-14-B-3-Two.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedural Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notifications affecting the local areas specified in the Table below, the State Government, hereby, with effect from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette declares Railway station out post Meghnagar to be a Government Railway police station in Meghnagar, Tehsil Meghnagar, District Jhabua and further directs that it shall include the local areas specified in column (3) of the said Table and excludes from the police station mentioned in column (2) of the Table below the local areas specified in column (3) thereof:—

TABLE

S. No.	Name of police station (with tehsil and District from which excluded	Local area-name of railway station	Distance towards from Meghnagar
(1)	(2)	(3)	(4)
	Police Station GRP Ratlam Tehsil,	Railway Station, Anas	14
	District Ratlam (GRP District	Railway Station, Meghnagar	00
	Indore).	Railway Station, Thandla road	08
		Railway Station, Bajrang garh	15
		Railway Station, Panch pipila	21
		Railway Station, Amargarh	32
		Railway Station, Bamnia	36
		Railway Station, Bhairogarh Railway Station, Raoti	42
			54
		Railway Station, Bildi	61
		Railway Station, Morwani	70

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, LAXMIKANT DWIVEDI, Dy. Secy.

Bhopal, the 15th December 2015

No. F-2-(k)-9-14-B-3-Two.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notifications affecting the local areas specified in the Table below, the State Government, hereby, with effect from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette declares Railway Station Morena to be a Government Railway Police

Station in Morena District, Tehsil Morena and further directs that it shall include the local areas specified in column (3) of the said Table and excludes from the Police Station mentioned in column (2) of the Table below the local areas specified in column (3) thereof:—

TABLE

S. No.	Name of police station (with tehsil and District) from which excluded	Local area-name of Railway Stations	Distance between Railway Station (in k.m.) From Morana to Gwalior and Dholpur side
(1)	(2)	(3)	(4)
	Police station GRP Gwalior	Railway Station, Sank	9.7
	BG Tehsil & Ditrict Gwalior	Railway Station, Noorabad	13.2
	(Govt. Railway Police Dist.	Railway Station, Banmor	19.3
	Bhopal).	Railway Station, Rairu	25.4
		Railway Station, Sikronda	09.00
		Railway Station, Hetempur	14.01

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, LAXMIKANT DWIVEDI, Dy. Secy.